

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएँ, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक :अराज/सामान्य/2009/901


दिनांक : 21.12.2009

**आदेश**

निम्नलिखित कर्मचारियों जिनके स्थानान्तरण समसंख्यक आदेश दिनांक 10.09.09 एवं 22.10.09 के द्वारा किये गये हैं, उनके स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार निरस्त/संशोधित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद	विवरण
1	जोगाराम पुरोहित	नर्स-2	उपकेन्द्र, चितलवाना, जालौर से मु.चि.एवं स्वा.अ., सिराही के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जालौर के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है।
2	सतपाल सिंह	नर्स-2	सा.स्वा.के., रायसिंहनगर, गंगानगर से सामा.चिकि., बुरु किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., गंगानगर के अधीन किया जाता है।
3	दमयन्ति राजन	एएनएम	उपकेन्द्र, बमबाला, से उपकेन्द्र, सिराही, टोंक किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जयपुर द्वितीय के अधीन किया जाता है।
4	सुनिता रावत	एएनएम	सा.स्वा.के., डेगाना, नागौर से मु.चि.एवं स्वा.अ., बुरु के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
5	राजश्री	एएनएम	प्रा.स्वा.के., बगवाडा से उपकेन्द्र, दतपुरा, सीकर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जयपुर प्रथम के अधीन किया जाता है।
6	सुशील कुमार	नर्स-2	प्रा.स्वा.के., कनेछनकला, भीलवाडा से जेएलएन चिकि., अजमेर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
7	मीना उदयवाल	एएनएम	प्रा.स्वा.के., साबोरा, भरतपुर से मु.चि.एवं स्वा.अ., धौलपुर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., भरतपुर के अधीन किया जाता है।
8	इमरान कुरेशी	क.लि.	प्रा.स्वा.के., पापडवा, दोसा से सा.स्वा.के., जमवारामगढ किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर एएसएमएस चिकि., जयपुर में किया जाता है।
9	ओम प्रकाश चौधरी	नर्स-2	सा.स्वा.के., दूढ़, जयपुर से मु.चि.एवं स्वा.अ., बीकानेर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
10	प्रदीप कुमार भाटी	क.लि.	मु.चि.एवं स्वा.अ., अजमेर से मु.चि.एवं स्वा.अ., भीलवाडा के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., अजमेर के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है।

- संविदा/ रिवर्स डेपुटेशन/ एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी / ग्रामीण नर्स-2/ ग्रामीण लैब टेक्नीशियन/ ग्रामीण एएनएम के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे। कार्यमुक्त करने वाले / कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस शर्त की पालना सुनिश्चित करें।
- जिन कर्मचारियों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने जिले में रिक्त पद पर किया जावेगा।

  
21/12/2009  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :अराज/सामान्य/2009/901

दिनांक : 21.12.2009

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, जनस्वास्थ्य/प.क./एड्स/आईसी/ईएसआई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडीकल कॉलेज, राजस्थान।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जौन- राजस्थान।

7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. संबंधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
11. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबंधित अधिकारी।
13. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

*Om*  
*21/12*

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर